## न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/42/2019

गिरीश कुमार पुत्र कपूरचन्द सिंघल जाति वैश्य निवासी ए–98 रणजीतनगर भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. परियोजना निदेशक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना इकाई एनएच–11 जयपुर (राज0)
2. भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर

.....अप्रार्थीगण

याचिका अन्तर्गत धारा 3जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट
बाबत खसरा नम्बरान 348 में से 08,0.25 है0 वाके
ग्राम घसौला अवार्ड दिनांक 18.04.2017

उपस्थितः–
1–श्री रमनलाल मित्तल एड0 अभिभाषक प्रार्थी,
2–श्री दीपक शर्मा एड0 अभिभाषक अप्रार्थी

**निर्णय** दिनांक 22.12.2021

प्रार्थी ने यह संशोधित याचिका अन्तर्गत धारा 3जी(5) नेशनल हाईवे एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है जिसका संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 348 में से 0.8, 0.25 हैक्टेयर वाके ग्राम घसौला की व्यावसायिक दो कार्यालय उपंजीयक की जिला स्तरीय समिति को अनुमोदित दरों की सूची में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ की दर 330रू0 प्रति वर्गफुट की हुई है, जिस पर 2007 की डी.एल.सी सूची पर 10 प्रतिशत राशि 363 रू0 प्रति वर्गफुट से खसरा नम्बर 340 व 362 में से 0.8 एवं 0.25 है0 यानि 35397 वर्गफुट का मुआवजा 1,16,81,010/–रू0 होता है जिसे प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है क्योंकि प्रार्थी की उक्त आराजी पर रिलायन्स पैट्रोल पम्प स्थापित हो चुका है तथा यू.आई.टी भरतपुर में व्यावसायिक रूपान्तरण आराजी खसरा नम्बर 340 व 352 वाके ग्राम घसौला में पत्रावली प्रस्तुत कर रखी है जो जयपुर डी.एल.सी कार्यालय में विचाराधीन है। अवाप्त की गई आराजी में रिलायन्स पैट्रोल पम्प स्थापित किया गया है जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 3,00,000/–भी रिलायन्स कम्पनी में जमा कराये गये थे जो भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

कारण वापिस योग्य नही है, इसलिए प्रार्थी उक्त राशि को भी प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त आराजी में रिलायन्स पैट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए कम्पनी से 3 टैंक राशि 7,50,000/– के भी खरीद किये थे जो अब प्रार्थी के किसी कार्य में नही आ सकते है, प्रार्थी उक्त तीन टैंको की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा जमीन में प्रार्थी द्वारा पैट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु भवन एवं टैंक, वाउण्ड्री खम्भे आदि का निर्माण किया गया था जिसके निर्माण आदि में व्यय राशि 169559/–रू0, चार दीवारी तीन तरफ की पर हुआ व्यय राशि 234000/–रू0, स्टोरेज ठेकों के निर्माण इत्यादि पर हुई व्यय राशि 1352553/–रू0, टोटम पर हुई निर्माण राशि 4799706/– एवं कोस्ट ऑफ कुट स्टोन की राशि 183897/– रू0 कुल राशि 2419715/–रू0 प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी ने निर्माण कार्य कराया था वह रिलायन्स कम्पनी के द्वारा स्वीकृत नक्शा व मापदण्डों के अनुसार कराया गया था। रिलायन्स पैट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए एक चौकीदार 01.07.2005 से विपक्षी द्वारा कब्जा लेने की तारीख तक 3000/–प्रतिमाह की दर से उक्त राशि को भी प्रार्थी अधिग्रहण की दिनांक तक प्राप्त करने का अधिकारी है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की उपधारा 3जी(2) के अनुसार कुल मुआवजा राशि पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्राप्त करने व ब्याज राशि भी प्राप्त करने का अधिकारी है। भारत सरकार ने जरिये अधिसूचना तारीख 20.8.2015 द्वारा राईट टू फेयर एण्ड कम्पनशेसन एक्ट 2013 की धारा 105 की उपधारा 3 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर अधिसूचना जारी कर दिनांक 01.9.2015 से कानून के रूप में प्रभावी किया है। 2013 की एक्ट की शड्यूल 4 में वर्णित नेशनल हाईवे एक्ट व अन्य अधिनियमों में अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि व अन्य देय लाभ शड्यूल 1,2 व 3 के अनुसार भूमि मालिक को कानूनन देय का प्रावधान किया है, इसलिए प्रार्थी भी उक्त प्रावधानुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसके अनुसार मार्केट वैल्यू पर 100 प्रतिशत सांत्वना राशि, 12 प्रतिशत स्पेशल मुआवजा राशि, अधिनियम सूचना से अवार्ड पारित होने की तारीख से कब्जा लेने की तारीख तक 9 प्रतिशत ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा याचिका स्वीकार की जाकर भूमि का मुआवजा राशि 1,16,81,010/– तथा रजिस्ट्रेशन फीस 300000/–, टैंको की राशि 750000/–, निर्माण आदि पर व्यय राशि 2419715/–, चौकीदार को देय राशि तथा उक्त समस्त मुआवजा राशि राईट टू फेयर कम्पनशेसन एक्ट 2013 के अनुसार अतिरिक्त मुआवजा राशि नियमानुसार देय ब्याज दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी व अप्रार्थीगण को तलब किया। पत्रावली पर अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये तर्क किया है कि आराजी खसरा नम्बर 348 में से 0.8, 0.25 हैक्टेयर वाके ग्राम घसौला की व्यावसायिक



जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

दो कार्यालय उपंजीयक की जिला स्तरीय समिति को अनुमोदित दरों की सूची में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ की दर 330रू0 प्रति वर्गफुट की हुई है जिस पर 2007 की डी.एल.सी सूची पर 10 प्रतिशत राशि 363 रू0 प्रति वर्गफुट से खसरा नम्बर 340व 362 में से 0.8 एवं 0.25 है00 यानि 35397 वर्गफुट का मुआवजा 1,16,81,010/–रू0 होती है। अवाप्त की गई आराजी में रिलायन्स पैट्रोल पम्प स्थापित किया गया है जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 3,00,000/– भी रिलायन्स कम्पनी में जमा कराये गये थे जो भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के कारण वापिस योग्य नही है इसलिए प्रार्थी उक्त राशि को भी प्राप्त करने व रिलायन्स पैट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए कम्पनी से 3टैंक राशि 7,50,000/– के भी खरीद किये थे जो अव किसी काम के नही है, प्रार्थी उक्त तीन टैंको की राशि प्राप्त व भवन एवं टैंक, वाउण्ड्री खम्भे आदि का निर्माण किया गया था जिसके निर्माण आदि में व्यय राशि 169559/–रू0, चार दीवारी तीन तरफ की पर हुआ व्यय राशि 234000/–रू0, स्टोरेज ठेकों के निर्माण इत्यादि पर हुई व्यय राशि 1352553/–रू0, टोटम पर हुई निर्माण राशि 4799706/– एवं कोस्ट ऑफ कुट स्टोन की राशि 183897/– रू0 कुल राशि 2419715/–रू0 प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी ने निर्माण कार्य कराया था वह रिलायन्स कम्पनी के द्वारा स्वीकृत नक्शा व मापदण्डों के अनुसार कराया गया था। रिलायन्स पैट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए एक चौकीदार 01.07.2005 से विपक्षी द्वारा कब्जा लेने की तारीख तक 3000/–प्रतिमाह की दर से उक्त राशि को भी प्रार्थी अधिग्रहण की दिनांक तक प्राप्त करने का अधिकारी है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की उपधारा 3जी(2) के अनुसार कुल मुआवजा राशि पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्राप्त करने व ब्याज राशि भी प्राप्त करने का अधिकारी है। भारत सरकार ने जरिये अधिसूचना तारीख 20.8.2015 द्वारा राईट टू फेयर एण्ड कम्पनशेसन एक्ट 2013 की धारा 105 की उपधारा 3 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर अधिसूचना जारी कर दिनांक 01.9.2015 से कानून बनाकर प्रभावी किया है। 2013 की एक्ट की शड्यूल 4 में वर्णित नेशनल हाईवे एक्ट व अन्य अधिनियमों में अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि व अन्य देय लाभ शड्यूल 1,2 व 3 के अनुसार भूमि मालिक को कानूनन देय का प्रावधान किया है इसलिए प्रार्थी भी उक्त प्रावधानुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी है जिसके अनुसार मार्केट वैल्यू पर 100 प्रतिशत सांत्वना राशि, 12 प्रतिशत स्पेशल मुआवजा राशि, अधिनियम सूचना से अवार्ड पारित होने की तारीख से कब्जा लेने की तारीख तक 9 प्रतिशत ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। अन्त में अभिभाषक प्रार्थी द्वारा याचिका स्वीकार की जाकर भूमि का मुआवजा राशि 1,16,81,010/–तथा रजिस्ट्रेशन फीस 300000/–,टैंको की राशि 750000/–,निर्माण आदि पर व्यय राशि 2419715/–,चौकीदार को देय राशि तथा उक्त समस्त मुआवजा राशि राईट टू फेयर कम्पनशेसन एक्ट 2013 के अनुसार अतिरिक्त मुआवजा राशि नियमानुसार देय ब्याज दिलाये जाने का निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
धरतपुर (राज०

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी एन.एच ने अपने कथनों में प्रस्तुत लिखित बहस में कथन किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के लिए आगरा भरतपुर खण्ड को चौडा करने हेतु भूमि अवाप्ति करने के लिए भारत के राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 24.01.2006 को जारी की गई जिसमें भरतपुर जिले के उपखण्ड अधिकारी जिसे कि सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत करने की अधिसूचना दिनांक 30.01.2006 को जारी की गई। अधिनियम की धारा 3जी के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी(7) में दिये गये निर्देशों की पालना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि की गणना उपपंजीयक भरतपुर से प्राप्त निर्धारित डीएलसी दर के आधार पर की गई। अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा राशि के निर्धारण के सवंध में सवंधित पक्षकारान को व्यक्तिश या प्लीडर के माध्यम से ऐतराज प्रस्तुत करने हेतु सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में दिनांक 08.09.2006 का किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गो पर कृषि भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण के सवंध में राजस्थान सरकार राजस्व (भूमि रूपान्तरण) के लिए दिनांक 20.11.2004 व 24.02.2005 को सरकूलर जारी किये गये है। जिसमें सभी प्रकार की सडको के किनारे उद्योग विभाग द्वारा जारी दूरी जो वर्तमान 100 मीटर है, को उघोगों की स्थापना पर लागू होगी तथा आवासीय वाणिज्यिक व पैट्रोल पम्प आदि हेतु इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश/मापदण्ड लागू रहेगें। उक्त दिशा निर्देशानुसार वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रोड के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर छोडकर होनी चाहिये व आवासीय तथा पैट्रोल पम्प कार्य हेतु रोड के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर छोडकर होनी चाहिये। सपंरिवर्तित शुदा भूमि सडक के मध्य से 40 मीटर छोडकर है अर्थात् अवाप्तशुदा भूमि वाणिज्यिक भूमि नही है, कृषि भूमि है। चूंकि विवादित आराजी अवाप्शुदा भूमि का संपरिवर्तित भूमि नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अवाप्तशुदा भूमि का संपरिवर्तित दर से मुआवजा राशि प्राप्त करने एवं राज्य सरकार के परिपत्र न0 SE(NH)PA/05/D-1603 के अनुसार प्रार्थी बारानी किस्म की भूमि का वाणिज्यिक दर से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विवादित आराजी का कभी भी उपयोग व्यवसायिक गतिविधियों का नही रहा है, ना ही पोन्टेन्शीयल वैल्यू वाणिज्यिक रही है, क्योंकि प्रार्थी गिरीश कुमार द्वारा एक उनवानी वाद न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क0ख0 भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाकर प्राधिकरण के हक में डिकी जारी हुई थी। उक्त वाद पत्र में प्रार्थी गिरीशकुमार की शपथ पर बयान के अनुसार स्वंय ने यह माना है कि उक्त भूमि रूपान्तरित/व्यावसायिक भूमि नही है ना ही कोई पैट्रोल पम्प लगा हुआ है। इस प्रकार उक्त अवाप्तशुदा भूमि व्यावसायिक/रूपान्तरित नही थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा चक न01 में अवाप्तशुदा भूमि की डीएलसी दर के मुताबिक दर निर्धारित की गई जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी की किस्म बारानी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा तय की गई जिसके लिए प्रार्थी की उक्त अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 340 का अवाप्तशुदा रकबा 0.08 है0 का मुआवजा राशि

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

22239/–रू0 50 पैसे तथा सुखाचार क्षति पूर्ति राशि 2223.95/–रू कुल राशि 24463.45/–रू0 निर्धारित की गई है एवं खसरा नम्बर 362 का अवाप्तशुदा रकबा 0.25 है0 का मुआवजा राशि 694984.50रू0 निर्मित सम्पत्ति मूल्य प्रतिकर राशि 325715/–रू0 एवं सुखाचार क्षतिपूर्ति राशि 102069.95/–कुल 11,22,769.45/–रू0 का मुआवजा राशि तय की गई । प्रार्थी द्वारा तय समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की ऐसा में प्रार्थी मुआवजा राशि प्राप्त करने से विधि के अनुसार विबंधित है। राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि की किस्म बारानी है जबकि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि को व्यावसायिक प्रकृति की बताकर आवंटन शुदा भूमि की जबरन से मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थी ने 3ए के प्रकाशन के पश्चात् 21 दिवस के भीतर इस तरह का कोई रिकार्ड प्रस्तुत नही किया। धारा 3जी की उपधारा 7 के भाग ए में स्पष्ट प्रावधान है कि धारा 3ए के तहत जारी की गई अधिसूचना के समय भूमि का जो बाजार मूल्य था उसी आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया जावेगा। प्रार्थी द्वारा अधिसूचना जारी होने बाद कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थी की भूमि धारा 3ए की अधिसूचना से पूर्व व्यावसायिक प्रकृति की नही थी बल्कि बारानी की थी। प्रार्थी द्वारा संशोधित याचिका के माध्यम से चाहा गया अनुतोष विधि विरूद्व है क्योंकि प्रार्थी उक्त संशोधन याचिका से राईट टू फेयर कम्पनशेसन एक्ट 2013 के अनुसार अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करना चाहता है जिसका प्रार्थी को अधिकार ही नही है। प्रार्थी संशोधित याचिका के माध्यम से मूल प्रार्थना पत्र के अनुतोष को भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार परिवर्तित करवाना चाहता है जो कि विधि के विपरीत है, क्योंकि उक्त प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि के सबंध में दिनांक 12.04.2017 को अवार्ड पारित किया गया जिसके अनुसार प्राधिकरण द्वारा मुआवजा राशि को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा करवा दिया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा का वितरण किया जा चुका है। इस वजह से प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अनुकरणीय नही होने से खारिज योग्य है। प्रार्थी उक्त प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड आदेश को निरस्त करवाकर भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के मुताबिक अनुतोष प्राप्त करना चाहता है जबकि यह विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी नये अधिनियम का भूतलक्षी प्रभाव नही होता है, इस वजह से प्रार्थी अवाप्तभूमि का नये भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के मुताबिक प्राप्त करने का अधिकारी नही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 3ए की अधिसूचना 2006 में जारी की गई व अवाप्तशुदा भूमि का अवार्ड सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 12.04.2007 को पारित किया गया था जबकि भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अस्तित्व में ही नही था तो प्रार्थी को उक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अनुतोष नही दिया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश भरतपुर के निर्णय दिनांक 23.05.2019 का सही अवलोकन

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

नही करके पूर्व के प्रार्थना पत्र 3जी(5) राजमार्ग अधिनियम में ही संशोधन याचिका प्रस्तुत की है जबकि न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि गिरीशकुमार को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वे नये सिरे से मध्यस्थ के समक्ष उचित कीमत के लिए आवेदन कर सकते है अर्थात् प्रार्थी को न्यायालय के समक्ष नया प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिये था न कि संशोधित याचिका। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी की संशोधित याचिका पेश की गई है जबकि प्रार्थी को नये सिरे से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था इसलिए संशोधित याचिका खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान अभिभाषक के कथनों एवं लिखित बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 02.01.2014 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 3जी(5) नेशनल हाईवे एक्ट खिलाफ अवार्ड में आदेश पारित किया है कि "प्रार्थना पत्र अंशिक स्वीकार किया जाकर भूमि अवाप्ति अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थीयान की आराजी खसरा नम्बर 340/0.008 है0 एवं खसरा नम्बर 362/0.25 है0 यानि 35397 वर्गफुट ग्राम घसौला तहसील भरतपुर की भूमि की वाणिज्य कीमत 330/–प्रति वर्गफुट की दर से मुआवजा 11681010/–रू0 में से 20 प्रतिशत डबलपमेन्ट चार्ज (2336202/–रू0) काटा जाकर, 9344808/–रू तथा 10 प्रतिशत सुखाचार क्षतिपूर्ति राशि (934480/–रू) दी जाकर प्रार्थी को पूर्व में भुगतान किये गये भूमि मुआवजा राशि का उपरोक्त मुआवजा अवार्ड राशि में से समायोजित करते हुये शेष भुगतान की कार्यवाही की जावें"। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 02.01.2014 के निर्णय के विरूद्व मान0न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 भरतपुर में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 23.05.2019 को पारित आदेश में "प्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की से धारा 34 आरबीट्रेशन एण्ड कन्सिलिएशन एक्ट 1996 के तहत पेश की गई आपत्तियां स्वीकार की जाकर मध्यस्थ द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 02.01.2014 को अपास्त किया जाता है तथा गिरीश कुमार अप्रार्थी संख्या 1 को यह स्वतत्रंता दी जाती है कि वे नये सिरे से मध्यस्थ के समक्ष उचित कीमत के लिए आवेदन कर सकते है और मध्यस्थ को यह निर्देश दिया जाता है कि वे दोनो पक्षों को साक्ष्य का अवसर देकर साक्ष्य का गुणावगुण पर विस्तृत विवेचन करते हुए नये सिरे से मुआवजा निर्धारित करेगें"।

प्रार्थी द्वारा संशोधित याचिका अन्तर्गत धारा 3जी(5) नेशनल हाईवे एक्ट बाबत आराजी खसरा नम्बरान 348 में से 0.8, 0.25 है0 वाके ग्राम घसौला अवार्ड दिनांक 18.04.2007 प्रस्तुत कर मुआवजा राशि व रजिस्ट्रेशन फीस, टैंको की राशि, निर्माण आदि मे हुये व्यय तथा चौकीदार को देय राशि तथा उक्त समस्त मुआवजा राशि पर "राईट टू फेयर कम्पनशेसन एक्ट 2013 के अनुसार अतिरिक्त मुआवजा राशि व देय राशि मय ब्याज की मांग की गई है। प्रार्थी द्वारा मान0 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 भरतपुर के आदेश दिनांक



जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

23.05.2019 में की पालना में प्रार्थी द्वारा नया प्रार्थना पत्र पेश न कर संशोधित याचिका प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी द्वारा अपनी संशोधित याचिका में कोई नवीन तथ्य प्रस्तुत नही किये गये है। इस प्रकार प्रार्थी गिरीश कुमार द्वारा अपनी याचिका में कोई नवीन तथ्य न होने से न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 02.01.2014 में कोई संशोधन किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। इस प्रकार प्रार्थी प्रकरण में किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का हकदार नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य पाते है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का संशोधित याचिका अन्तर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता )
जिला कलक्टर,
भरतपुर